न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-5/2003

मामराज पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी सीगनोर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

--अपीलान्ट---

1- चतरू
2- बनवारी } पुत्रगण शंकर जाति जाट निवासी सीगनोर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

--रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
28-3-2003 द्वारा उप खण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ।
--0--

उपस्थिति-

1-श्री जगदीशचन्द्र एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री रणजीतसिंह एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 31.01.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 3.77 हैक्टर वाके ग्राम सिंगनौर में स्थित है । जिसके आवेदकगण खातेदार काश्तकार है। इस आराजी पर अन्य किसी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है । इस आराजी के पूर्वी तरफ के पडौसी अनावेदक सं0-1 की जमीन है । जो प्रभावशाली एवं धनाढ्य व्यक्ति है तथा सरकारी नौकरी करता है । तथा आवेदकगण से दुश्मनी रखता है । तथा आवेदकगण से लडाई झगडा करता रहता

है ।इसके बाद भी अनावेदक संख्या-। हमारी आराजी में जबरन नया रास्ता निकालना चाहता है ।जबकि राजस्व रेकार्ड में इस आराजी ख0नं0 835 में से कोई रास्ता नहीं है ।महज आपसी प्रेम के कारण एवं आपसी सहूलियत के कारण आवेदकगण ने अपने खेत की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे आदमियों की पगडण्डी छोड रखी है । जो आवेदकगण की मर्जी की है । कानूनन कोई पगडण्डी नहीं है । अनावेदक सं0- । ने अनावेदक संख्या-2 से साज कर रखी है जो आवेदकगण के खेत के बीचों बीच रास्ता निकालने पर आमादा है जिसका उसे कोई हक अधिकार नहीं है ।अतः अनावेदगण को पाबन्द किया जावे कि वह आवेदकगण के खेत ख0नं0 835 के बीचों बीच कोई नया रास्ता कायम न करें । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को न तो कायम किया और न ही इन बिन्दूओं पर अपना कोई निर्णय दिया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-। व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर केवल खसरा नं0 835 में से नया रास्ता कायम न करने का हक होना ही प्लीड किया है । जबकि तहसील--दार उदयपुरवाटी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-251 के तहत दिनांक 9-11-2000 को रेस्पोडेन्ट सं0-। व 2 के खिलाफ निर्णय पारित किया और ख0नं0 835 के बीच में से पूर्व पश्चिम अपीलान्ट का चिरकालीन सुखाधिकार माना है। इस निर्णय दिनांक 9-11-2000 को अपास्त करवाने के लिए रेस्पो0 सं0"। व 2 ने अपील संख्या- 67/2000 की जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने दिनांक 14-3-2001 को खारिज कर दी ।उक्त दोनो निर्णय अपास्त नहीं हुये है। इससे अपीलान्ट का सुखाधिकार सिद्ध है । रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रा0 पत्र में अपनी आराजी के अलावा अपीलान्ट का रास्ता किसी अन्य आराजी में

1 व 2 ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है । रेस्पोडेन्ट का यह कहना गलत है कि हम नया रास्ता निकालना चाहते है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 का यह कथन कि ख0नं0 835 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे अपीलान्ट के खेत में आने जाने का रास्ता है। अपीलान्ट का के खेत में आने जाने आदि का रास्ता है और अपीलान्ट के खेत का अन्य कोई रास्ता नहीं है । अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर योग्य अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट स्वच्छ हाथों से नहीं आये । अपीलान्ट का सदा से ही रेस्पोडेन्ट के खेत संख्या-835 में से ही आना जाना रहा है । इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किया तहसीलदार उदयपुरवाटी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-251 के तहत दिनांक 9-11-2000 को रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 के खिलाफ निर्णय पारित किया जिसमें ख0नं0 835 के बीच में से पूर्व पश्चिम अपीलान्ट का सदा से रास्ता माना है । इसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने अपील संख्या 67/2000 न्यायालय अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां पेश की जिसको बाद सुनवाई दिनांक 14-3-2001 को खारिज कर दी । इसके बाद रेस्पोडेन्टस् ने इन दोनों निर्णयों के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की अर्थात यह दोनों निर्णय अन्तिम हुये जिसमें अपीलान्ट का खेत ख0नं0 835 में से रास्ता सदा से रहा है । रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का रास्ता कहीं दूसरे खसरा नम्बर में से नहीं बताया है बल्कि रेस्पोडेन्ट ने ख0नं0 835 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे अपीलान्ट के खेत में आने जाने का बताया है ।अर्थात रेस्पोडेन्ट ने रास्ते से इन्कार नहीं किया इस प्रकार रेस्पोडेन्ट अदालत मातहत में स्वच्छ हाथो से नहीं आया और जब रेस्पोडेन्ट स्वच्छ हाथो से नहीं आया तो वह साम्यपूर्ण अनुतोष प्राप्त करने

का अधिकारी नहीं है । बहस के समर्थन में आरआरटी 2002(1) पेज-589, एआईआर 1983(एस0सी0) पेज-1272, आरबीजे 1999 पेज-454 एवं आरआर डी 1974 पेज-19 पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि आराजी ख0नं0 835 हमारे खातेदारी एवं कब्जा कास्त की आराजी है । इस आराजी में राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है । हमारे खाते कब्जे की आराजी में से अपीलान्ट ताकत के बल पर खेत के बीच में से रास्ता कायम करने पर आमादा है जिसका अपीलान्ट को कोई कानूनी अधिकार नहीं है । मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 30-10-2002 में रेस्पोडेन्ट के खेत ख0नं0 835 के उत्तरी सींव पर पूर्व पश्चिम पगडण्डी है जिससे अपीलान्ट के खेत में आना जाना दर्ज किया है । जबकि अपीलान्ट ख0नं0 835 में से बीच में से रास्ता निकालना चाहता है । यदि अपीलान्टऐसा करता है तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होती है । अप रेस्पोडेन्ट इस आराजी के रेकार्डेड खातेदार कास्तकार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि हमने प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से नहीं पेश किया है । हमने प्रार्थना पत्र में ख0नं0 835 के उत्तर साईड से पगडण्डी बताई है जो मौका कमीश्नर की रिपोर्ट में स्पष्ट है ।योग्य अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है ।जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है । विद्वान वकील अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है उनके तथ्य भिन्न है ।अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0-2054 से 2057 में ख0नं0 835 की खातेदारी चतरू बनवारी पि0 शंकर के नाम दर्ज है । तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 9-11-2000 एवं विद्वान अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 14-3-2001 में पगडण्डी को बन्द करने पर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है । मौका कमिश्नर दि0

सहारे पगडण्डी दिखाई है जिससे अपीलान्ट अपने खेत तक आना जाना करते हैं । पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 के नाम दर्ज है जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । अपीलान्ट यदि ख0नं0 835 के मध्य में से रास्ता निकालता है तो अपूर्णीय क्षति भी रेस्पोडेन्ट को ही होगी राजस्व रेकार्ड में ख0नं0 835 में कोई रास्ता दर्ज नहीं है ।अदालत मातहत ने सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर अपना निर्णय पारित किया जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं । प्रस्तुत नजीरों के तथ्य भिन्न है जो प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 28-3-2003 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31-1-2018 को सुनाया गया ।

31/1/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर